उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2747 / 8–3–12–07एल0यू0सी0 / 07

लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार लखनऊ की महायोजना–2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियों और सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' (अंग्रेजी) एवं ''अमर उजाला'' (हिन्दी) में दिनांक 10.10.12 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और, चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। फलतः अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम–1974) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय लखनऊ की महायोजना–2021 में नीचे अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

अनुसूची

गोमतीनगर लखनऊ के विपिन खण्ड में जयप्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि के भू–उपयोग का पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी (पी–1) से सामुदायिक सुविधायें (संस्थागत) में निम्नवत परिवर्तित किया जाता हैः–

क. सं.	ग्राम का नाम	परगना	जिला/तहसील	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	उजरियांव	महोना	लखनऊ	1558पी	0.197	पार्क एवं खुला स्थल/ हरित पट्टी	सामुदायिक सुविधायें ''संस्थागत''
				1562पी	0.026		
				1563पी	0.239		
				1564पी	0.261		
				1565पी	0.139		
				1566पी	0.039		
	जुगौली	महोना	लखनऊ	87पी	0.039	पार्क एवं खुला स्थल/ हरित पट्टी	सामुदायिक सुविधायें ''संस्थागत''
				88पी	0.019		
				89पी	0.065		
				90पी	0.354		
				91पी	0.369		
				92पी	0.330		
				93पी	0.216		
		योग			**2.293 हे0 अथवा 22931.748 वर्ग मी0**		

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव

ADC S/
17.1.13

Manoj/uo/2012

संख्या–2747(1)/8–3–2012–07एल.यू.सी./2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की प्रति संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक 16, जनवरी, 2013 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करायें तथा 25 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव

संख्या– 2747(2)/8–3–2012–07एल.यू.सी./2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। 05 प्रतियां।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 05 प्रतियां।

3– निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव